न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2018

आर.सी.एम.एस. : 2018/00352

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्रीमती विजयादेवी मालु पत्नी मूलचंद मालु निवासी सरदार शहर हाल नई दिल्ली		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 2/3/2021

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 22/2017 विजयादेवी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलाण्ट के पति मूलचन्द मालु ने दिनांक 23.05.2014 को एक वसीयतनामा तहरीर व तकमील अपीलाण्ट व उसके पुत्र के पक्ष में किया है एवं वसीयतकर्ता का दिनांक 10.04.2017 को देहान्त हो चुका है। इसलिए वसीयतनामा अनुसार ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 2235 रकबा 1.5650 हैक्टेयर भूमि, जो वसीयतकर्ता स्वयं ने क्रय की है, इसलिए स्वअर्जित सम्पति होने से अपीलाण्ट व उसके पुत्र विकास मालु के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे, जिस पर प्रकरण संख्या 22/2017 दर्ज हुआ एवं आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु प्रचलित समाचार पत्र में सूचना भी प्रकाशित करवाई गई, किन्तु कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा गवाहान् के बयान भी कलमबद्ध करवाए। इस प्रकार किसी भी रूप से प्रकरण संदेहास्पद नहीं था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह लिखते हुए कि वसीयतनामा में वसीयत की गई सम्पति का विवरण अंकित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज़ कर दिया, जबकि अपीलाण्ट के पति द्वारा अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पति दिनांक 23.05.2014 को वसीयत कर दी थी। चूंकि प्रकरण विवादित ही नहीं था, इसके बावजूद भी प्रकरण को राजस्थान भू राजस्व

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत दर्ज किया, जो विधि अनुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाते हुए बिना किसी आधार के जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अपीलाधीन आदेश अपास्त कराते हुए वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दायर करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करावें। अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार सोजत के समक्ष आवेदन करने पर उन्होंने उनसे कहा की आपका मामला वाजिब है तथा आपको वकील करने की आवश्यकता नहीं है, जब आपका काम हो जाएगा तो, वे स्वयं इत्तला कर देंगे। इसके पश्चात तहसीलदार सोज़त के भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने की जानकारी होने पर अपीलाण्ट दिनांक 22.05.2019 तहसील सोजत में आकर संबंधित लिपिक से प्रकरण के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि उनके प्रकरण में दिनांक 03.04.2018 को निर्णय पारित कर दिया गया है। तब तुरन्त नकलें प्राप्त कर अधिवक्ता से मिलकर अपील न्यायालय हाजा में अपील पेश की है, जिसके कारण हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त कराने के आदेश प्रदान करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात् की रोशनी में विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। वसीयत में उक्त भूमि का जिक्र ही नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उनके हक अधिकारों से संबंधित होने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। प्रकरण का मुख्य आधार मूलचन्द मालू द्वारा अपनी सम्पति के सम्बन्ध में किया गया वसीयतनामा है, जिसमें सम्पति का विवरण अंकित नहीं होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का आवेदन पत्र खारिज़ किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है, उनके अनुसार ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 2235 रकबा 1.5650 हैक्टेयर की भूमि मूलचन्द मालू द्वारा खातेदार प्रेमाजी पत्नी हरकचन्द लुणिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है। इस प्रकार उक्त सम्पति मूलचन्द की स्व–अर्जित सम्पति थी, जिसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। मूलचन्द द्वारा अपनी तमाम चल व अचल सम्पति की वसीयत निष्पादित की है, जिसमें से चल सम्पति अपने पुत्र को एवं अचल सम्पति अपनी पत्नी अर्थात अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित की है, जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है। विधि अनुसार कृषि भूमि अचल सम्पति में समाहित होती है। मूलचन्द मालू का देहान्त दिनांक 10.04.2017 को हो जाने से उनके नाम की भूमि को वसीयत के आधार पर दर्ज नहीं भी की जाती है, तो भी जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के उनके विधिक वारिशान के नाम दर्ज किए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है, जो मातहत अदालत द्वारा दर्ज नहीं कर कानूनी भूल की है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी स्थिति में यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 22/2017 विजयादेवी बनाम सरकार में तहसीलदार सोजत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्व. मूलचंद मालु के विधिक वारिशान को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 2/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली